न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व दरख्वास्त संख्या : 154/2007

सायलान :-	बनाम	गै०सा० :-
1. भवरु के कायम मुकामान 1/1 मंगलाराम पुत्र भंवरु 1/2 सुवाराम पुत्र भंवरु 1/3 मैना पुत्री भंवरु 1/4 अनोपी पुत्री भवरु 1/5 दरिया पुत्री भंवरु 1/6 सायरी बेवा भंवरु 2. जयराम पुत्र पूनाराम 3. गोपू पुत्र पूनाराम जातियान-बावरी निवासी-आ०कालू तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. बालाबक्ष (फौत) पुत्र हजारीमल 2. अमरचंद पुत्र बालाबक्ष जातियान-कलाल, निवासी-आ०कालू तहसील-जैतारण जिला-पाली 3. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी तारीख रजूः 10.09.2007

उपस्थितः- 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, सायलान।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 26/06/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि आदेश दिनांक 09/02/2004 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जैतारण जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 95/1996, 11/2000 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की अवमानना व उल्लंगन बाबत सायलान ने गैरसायलान संख्या एक व दो के विरुद्ध सरहद मौजा-आ०कालू-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाकै आराजी खसरा नम्बर 1351 रकबा 40 बीस्वा में से 20 बीघा 14 बीस्वा भूमि गैरसायलान के नाम गलत रुप से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि स्वर्ण जाति के गैरसायलान के नाम दर्ज करवाई जो गलत इन्द्राज हैं। जिसकी दुरस्ती व घोषणा का राजस्व वाद संख्या 42/1996 न्यायालय में विचाराधीन हैं। सुनवाई के पेशी दिनांक 05/09/2007 मुकर्रर हैं। सायलान ने गैरसायलान संख्या 01 व 02 के विरुद्ध उक्त वर्णित मुल राजस्व वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज काश्त अधि 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 95/1996, 11/2000 श्रीमान द्वारा दिनांक 09/02/2004 को स्वीकार कर निर्णीत किया गया व गैरसायल के विरुद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया। कि सरहद मौजा-आ०कालू चक-2 में वाके कृषि भूमि खसरा नम्बर 1351 मीन रकबा 20 बीघा 14 बीस्वा का रहन व बैय (बेचान) करने से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गैरसायलान को जरिये अस्थाई के वाद के निर्णय तक रोका गया, जो अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश आज दिन तक प्रभाव में हैं। न्यायालय के स्थगन होने के बावजुद गैरसायलान संख्या एक बालाबक्षा गैरसायलान संख्या 2 अमरचंद द्वारा सायलान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1351 मीन रकबा 20 बीघा 14 बीस्वा का बेचान करने की मंशा स्थगन आदेश के बावजुद जाहिर की जिसका मालूम पड़ने पर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 09/02/2004 के साथ एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18/06/2007 को गैरसायलान संख्या 3 उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायलान संख्या 1 व दो के नाम से गलत रुप से इन्द्राज कृषि भूमि खसरा नम्बर 1351 मीन रकबा 20 बीघा 14 बीस्वा को रहन,बेचान करने का न्यायालय का स्थगन आदेश हैं, जो आज दिन तक प्रभाव में है आप इसका पंजीयन नहीं करें व सायलान का उक्त स्थगन आदेश मय प्रार्थना पत्र के गैरसायल संख्या 3 द्वारा प्राप्त कर प्राप्ति रसीद दी, जिसकी फोटो प्रति साथ पेश हैं। न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजुद गैरसायलान संख्या 1 व 2 ने दिनांक 26/07/2007 को खसरा नम्बर 1351 मीन रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा सरहद मौजा-आ0कालू चक नम्बर-2 का बेचान उक्त गैरसायल संख्या एक ने संजय कुमार के पक्ष में तकमील किया जिसका गैरसायलान को न्यायालय के स्थगन आदेश का पूर्व ज्ञान था व न्यायालय की आदेश की अवहेलना करने की नियत से बेचाननामा तकमील कर पंजीयन करवाकर न्यायालय के आदेश की अवमानना की हैं। बेचान की फोटो प्रति साथ पेश की जा रही हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ0कालू में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गै0सा0 संख्या 1 बालाबक्ष फौत हो चुका हैं। कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु दिनांक 20/03/2013 से आज दिनांक तक समय दिया गया। बावजूद समय दिये जाने के कायम मुकाम की दरख्वास्त पेश नहीं करने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु दिनांक 20/03/2013 से आज दिनांक तक समय दिया गया। बावजूद समय दिये जाने के कायम मुकाम की दरख्वास्त पेश नहीं करने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ0कालू पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner